

न्यायालय सहायक, कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 174/19 वाद
पूर्व प्रकरण संख्या : 28/13

GCMS NO : 2013/00374

श्रीमती स्नेहलता पत्नी श्री गजेन्द्रजी लोढा, जाति जैन, उम्र वयस्क, निवासी 394-बी,
रोड़ नम्बर 8, अशोक नगर, तहसील-गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... वादीया

बनाम

1. श्री भागचन्द पिता श्री हीरालाल जी ब्राह्मण, जाति ब्राह्मण,
2. श्री नगजीराम पिता श्री हीरालाल जी ब्राह्मण, जाति ब्राह्मण,
3. श्री नाथुलाल पिता श्री हीरालाल जी ब्राह्मण, जाति ब्राह्मण,
4. श्री मगनीराम पिता श्री हीरालाल जी ब्राह्मण, जाति ब्राह्मण,
प्रतिवादी संख्या 1 से 4 सर्वनिवासी बेड़वास, तहसील-गिर्वा, उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती पिंगी पत्नी श्री ओमप्रकाश लौहार, निवासी ग्लास फैक्ट्री, खेमपुरा रोड़,
उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती लीला पत्नी श्री श्यामसुन्दर लौहार, जाति लौहार, निवासी ग्लास फैक्ट्री,
खेमपुरा रोड़, उदयपुर (राज.)
7. श्री कोमल कुमार पिता श्री श्यामलाल दाधीच, निवासी 16/126, मीरा कॉलोनी,
उत्तरी आयड़, उदयपुर (राज.)
8. श्री श्यामलाल पिता श्री परसराम दाधीच, निवासी 16/126, मीरा कॉलोनी, उत्तरी
आयड़, उदयपुर राज.
9. श्री मुकेश पिता श्री मांगीलाल जी चौधरी, जाति चौधरी, निवासी बोहरागणेशजी
कॉलोनी, उदयपुर (राज.)
10. श्रीमती तारा पत्नी श्री मुकेश जी चौधरी, जाति चौधरी, निवासी बोहरागणेशजी
कॉलोनी, उदयपुर (राज.)



11. सुश्री ईश्वरी पुत्री श्री जगदीश रेगर, उम्र वयस्क, निवासी 137, सूरजपोल, ठक्करबापा कॉलोनी, उदयपुर (राज.)
12. श्रीमती पिकी कुंवर पत्नी श्री जसवंतसिंह राव, निवासी बोयणा, तहसील-मावली, जिला उदयपुर (राज.)
13. श्रीमती शंकरी बाई पत्नी श्री देवीलालजी डांगी, निवासी मु.पो. धावड़ी, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)
14. श्री हिम्मताराम पिता श्री हीरालाल लौहार, निवासी बेड़वास, तहसील-गिर्वा, जिला उदयपुर
15. श्री जगदीश पिता श्री मगनीराम लौहार, जाति लौहार, निवासी कुण्डई, भीण्डर, तहसील - वल्लभनगर, जिला - उदयपुर (राज.)
16. श्रीमती हेमलता पत्नी श्री नारायणलाल लौहार, निवासी दुढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
17. श्रीमती भागवन्ती पत्नी श्री रामेश्वरलाल उपाध्याय, जाति ब्राह्मण, निवासी बड़वई, तहसील-डूंगला, जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)
18. श्री धमेन्द्र पिता रामचन्द्र आमेटा जाति ब्राह्मण, निवासी गादोली, तहसील-मावली, जिला उदयपुर (राज.)
19. श्रीमती मिनाक्षी पत्नी श्री प्रशान्तराज नीमावत (वैष्णव), जाति वैष्णव, निवासी 5, हवलामार्ग, अजन्ता होटल वाली गली, हाथीपोल बाहर, उदयपुर (राज.)
20. श्रीमती कुसुम पत्नी श्री निर्मल कुमार टांक, जाति टांक, निवासी सी/ओ श्री रामलाल टांक, वार्ड नम्बर 17, हायर सैकेण्डरी स्कूल के सामने, फतहनगर, तहसील - वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
21. श्री शान्तिलाल पिता श्री जगदीशलाल लौहार, जाति लौहार,
22. श्री मनोहरलाल पिता श्री जगदीशलाल लौहार, जाति लौहार, प्रतिवादी संख्या 21 व 22 दोनों, निवासी वाटीका मार्ग, हनुमान मौहल्ला, कुराबड़, तहसील-गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
23. श्री दुर्गाशंकर पिता श्री प्रताप चौबीसा,
24. श्री शंकरलाल पिता श्री प्रताप चौबीसा, जाति ब्राह्मण, प्रतिवादी संख्या 23 व 24 दोनों, निवासी 148, भीण्डर से बम्बोरा सड़क, चरगदिया, तहसील-वल्लभनगर, जिला- उदयपुर (राज.)
25. श्री अम्बुलाल पिता श्री छगनलाल शर्मा, जाति शर्मा, निवासी उथरदा, तहसील - सलूमबर, जिला उदयपुर (राज.)
26. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा (भूमिधारी), जिला - उदयपुर (राज.)

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 92-ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:- श्री हर्षद जोशी अधिवक्ता वादी
 श्री महेश भट्ट, श्री सत्यप्रकाश व्यास अधिवक्ता प्रतिवादी
 संख्या 9 व 10

निर्णय

दिनांक : 29.07.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने उक्त वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 92-ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि वादीया ने राजस्व ग्राम बेड़वास तहसील गिर्वा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1682, 1683, 1690 व 1691 कुल किता 4 रकबा 0.2500 हेक्टर भूमि में से अपने पूर्वाधिकारी प्रतिवादी संख्या 7 व 8 क्रमशः कोमल व श्यामलाल से उनके रेकार्ड में कुलिया हक व हिस्से 887/2500 अर्थात् 0.0887 हेक्टर क्रयशुदा भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 30.11.2010 से क्रय कर विक्रय पत्र का पंजीयन भी दिनांक 30.11.2010 को सम्यक रूप से उपपंजीयक कार्यालय द्वितीय उदयपुर में विधिवत रूप से करवा दिया था व वादग्रस्त भूमि के अविभाजित हक व हिस्से का कानूनन वास्तविक भुक्तभोग अविभाजित हक व हिस्सा अन्य सहखातेदार के साथ अर्जित किया। जिसके नामान्तरण संख्या 2650 है जो कि दिनांक 07.04.2011 को स्वीकृत हुआ व खाते में प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के बजाय वादीया खातेदार मालिक, काबिज दर्ज की गई। प्रतिवादी संख्या 9 श्री मुकेश व प्रतिवादी संख्या 10 श्रीमती तारा द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि में स्वयं को प्रतिवादी संख्या 8 से वादग्रस्त भूमि में से कतिपय हक व हिस्सा क्रय करने के स्वत्व विलेखों के आधार पर नामान्तरण अपील उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसके प्रकरण संख्या 55/2011 दर्ज किये गए तथा जिसका निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 श्यामलाल जिसका कि उस वक्त वादग्रस्त भूमि में केवलमात्र 145/2500 हिस्सा अर्थात् 0.0145 हेक्टर भूमि दर्ज थी, जिसमें से एक अन्य व्यक्ति प्रतिवादी संख्या 25 श्री अम्बुलाल को 109/2500 हिस्सा अर्थात् 0.0109 हेक्टर भूमि पूर्व में ही विक्रय की जा चुकी थी। जिसके बाद श्यामलाल के नाम विक्रय से शेष रही 0.0036 हेक्टर भूमि ही बची थी जिसका ही अंतरण कानूनन प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के पक्ष में किया। लेकिन प्रतिवादी संख्या 8 श्यामलाल ने अपने रेकर्डेड हक व हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय प्रतिवादी संख्या 9 व 10 को दर्शाते हुए तीन पृथक-पृथक विक्रय पत्रों का विक्रय दर्शा दिया गया जो कि कानूनन अविधिक हो अधिकारितातित होने से श्यामलाल के विक्रय से शेष रहे रकवे 36/2500 से कहीं अधिक होने से उक्त सभी प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र तथ्यों एवं विधि की भूल में निष्पादित व पंजीकृत करवाये गये हैं जो कि वादी के मुकाबले आरम्भतः शून्य प्रभावी हो अपास्त किये जाने योग्य है। वादीया चूंकि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 की उत्तरवर्ती क्रेता हो वादग्रस्त भूमि में उल्लेखित क्रयशुदा हक व हिस्से की सद्भाविक क्रेता है व वादग्रस्त भूमि का आज दिनांक तक कानूनन बंटवाड़ा नहीं होने से वादीया वादग्रस्त भूमि में अपने क्रयशुदा कुलिया हक व हिस्से की जाने के साथ-साथ खातेदार काश्तकार घोषित कराने की अधिकारी है। अतः निवेदन है कि वादीया को प्रतिवादी संख्या 7 से 10 व 25 के मुकाबले राजस्व ग्राम बेड़वास, तहसील-गिर्वा, जिला-उदयपुर में स्थित हाल आराजी नम्बर 1682, 1683, 1690 व 1691 कुल किता 4 रकबा 0.2500 हेक्टर भूमि में से अपने

पूर्वाधिकारी प्रतिवादी संख्या 7 व 8 क्रमशः कोमल व श्यामलाल से उनके रेकर्डेड कुलिया हक व हिस्से 887/2500 अर्थात् 0.0887 हेक्टर क्रयशुदा भूमि हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जकार वादीया के क्रयशुदा 887/2500 हक व हिस्से अर्थात् 0.0887 हेक्टर भूमि का कानूनन मिट्स एण्ड बॉण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा कराया जाने की समूचित आज्ञा प्रदान कराई जावे।

प्रतिवादी संख्या 18 द्वारा जवाब मय विशेष कथन प्रस्तुत कर कथन किया गया कि जहा तक आराजी नम्बर 1682, 1683, 1690 एवं 1691 राजस्व ग्राम बेडवास, तहसील- गिर्वा, जिला- उदयपुर स्थित भूमि 0.2500 हेक्टर भूमि के अविभाजित हक एवं हिस्से का प्रश्न है, वादीया ने मिथ्या अंकित किया है, उक्त आराजी का खातेदारों के मध्य बंटवाड़ा हो चुका है एवं सभी खातेदार बंटवाड़े अनुसार सड़क की भूमि को छोड़ने के पश्चात् अपने-अपने हिस्से पर काबिज हैं एवं कईयों ने तो अपने मकान बना लिये हैं, इस प्रकार उक्त कृषि भूमि पर अब कृषि कार्य नहीं होता है, अपितु उक्त भूमि आवासीय उपयोग में आ रही है। सभी खातेदारों के मध्य बंटवाड़े को लेकर कोई विवाद नहीं है, तो वादीया किसी भी प्रकार से कोई नया बंटवाड़ा नहीं करा सकती है एवं वादीया तथाकथित अपने पूर्ववर्ती खातेदार द्वारा स्वीकृत बंटवाड़े के अनुसार ही भूमि का कब्जा प्राप्त कर सकती है। प्रतिवादी संख्या 18 ने उक्त कृषि भूमि में अपना हिस्सा श्यामलाल दाधीच पिता श्री परशराम जी दाधीच से क्रय किया, जिन्होंने उक्त आराजी नम्बर- 1682, 1683, 1690 एवं 1691 का समस्त खातेदारों के मध्य बंटवारा किया था एवं बंटवारों में अपने-अपने हिस्से की जमीन में से रोड के लिये जमीन रखी थी एवं बंटवारे के नक्शे के अनुसार प्लोट नम्बर 2 एवं 3 क्रय किया था। अतः निवेदन है कि वादीया का वाद प्रतिवादी संख्या 18 के विरुद्ध खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 16 द्वारा जवाब मय विशेष कथन प्रस्तुत कर कथन किया गया कि जहा तक आराजी नम्बर 1682, 1683, 1690 एवं 1691 राजस्व ग्राम बेडवास, तहसील- गिर्वा, जिला- उदयपुर स्थित भूमि 0.2500 हेक्टर भूमि के अविभाजित हक एवं हिस्से का प्रश्न है, वादीया ने मिथ्या अंकित किया है, उक्त आराजी का खातेदारों के मध्य बंटवाड़ा हो चुका है एवं सभी खातेदार बंटवाड़े अनुसार सड़क की भूमि को छोड़ने के पश्चात् अपने-अपने हिस्से पर काबिज हैं एवं कईयों ने तो अपने मकान बना लिये हैं, इस प्रकार उक्त कृषि भूमि पर अब कृषि कार्य नहीं होता है, अपितु उक्त भूमि आवासीय उपयोग में आ रही है। सभी खातेदारों के मध्य बंटवाड़े को लेकर कोई विवाद नहीं है, तो वादीया किसी भी प्रकार से कोई नया बंटवाड़ा नहीं करा सकती है एवं वादीया तथाकथित अपने पूर्ववर्ती खातेदार द्वारा स्वीकृत बंटवाड़े के अनुसार ही भूमि का कब्जा प्राप्त कर सकती है। प्रतिवादी संख्या 16 ने उक्त कृषि भूमि में अपना हिस्सा श्रीमती सुनीता देराड़ी पत्नि श्री श्याम लाल जी से क्रय किया, जिन्होंने उक्त आराजी नम्बर- 1682, 1683, 1690 एवं 1691 का समस्त खातेदारों के मध्य बंटवारा किया था एवं बंटवारों में अपने-अपने हिस्से की जमीन में से रोड के लिये जमीन रखी थी एवं बंटवारे

के नक्शे के अनुसार प्लोट नम्बर 2 एवं 3 क्रय किया था। अतः निवेदन है कि वादीया का वाद प्रतिवादी संख्या 16 के विरुद्ध खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 15 द्वारा जवाब मय विशेष कथन प्रस्तुत कर कथन किया गया कि जहा तक आराजी नम्बर 1682, 1683, 1690 एवं 1691 राजस्व ग्राम बेडवास, तहसील— गिर्वा, जिला— उदयपुर स्थित भूमि 0.2500 हैक्टर भूमि के अविभाजित हक एवं हिस्से का प्रश्न है, वादीया ने मिथ्या अंकित किया है, उक्त आराजी का खातेदारों के मध्य बंटवाडा हो चुका है एवं सभी खातेदार बंटवाडे अनुसार सड़क की भूमि को छोडने के पश्चात् अपने-अपने हिस्से पर काबिज हैं एवं कईयों ने तो अपने मकान बना लिये हैं, इस प्रकार उक्त कृषि भूमि पर अब कृषि कार्य नहीं होता है, अपितू उक्त भूमि आवासीय उपयोग में आ रही है। सभी खातेदारो के मध्य बंटवाडे को लेकर कोई विवाद नहीं है, तो वादीया किसी भी प्रकार से कोई नया बंटवाडा नहीं करा सकती हैं एवं वादीया तथाकथित अपने पूर्ववर्ती खातेदार द्वारा स्वीकृत बंटवाडे के अनुसार ही भूमि का कब्जा प्राप्त कर सकती है। प्रतिवादी संख्या 15 ने उक्त कृषि भूमि में अपना हिस्सा श्यामलाल दाधीच पिता श्री परशराम जी दाधीच से क्रय किया, जिन्होंने उक्त आराजी नम्बर— 1682, 1683, 1690 एवं 1691 का समस्त खातेदारों के मध्य बंटवारा किया था एवं बंटवारें में अपने-अपने हिस्से की जमीन में से रोड के लिये जमीन रखी थी एवं बंटवारे के नक्शे के अनुसार प्लोट नम्बर 2 एवं 3 क्रय किया था। अतः निवेदन है कि वादीया का वाद प्रतिवादी संख्या 15 के विरुद्ध खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा जवाब मय विशेष कथन प्रस्तुत कर कथन किया गया कि जहा तक आराजी नम्बर 1682, 1683, 1690 एवं 1691 राजस्व ग्राम बेडवास, तहसील— गिर्वा, जिला— उदयपुर स्थित भूमि 0.2500 हैक्टर भूमि के अविभाजित हक एवं हिस्से का प्रश्न है, वादीया ने मिथ्या अंकित किया है, उक्त आराजी का खातेदारों के मध्य बंटवाडा हो चुका है एवं सभी खातेदार बंटवाडे अनुसार सड़क की भूमि को छोडने के पश्चात् अपने-अपने हिस्से पर काबिज हैं एवं कईयों ने तो अपने मकान बना लिये हैं, इस प्रकार उक्त कृषि भूमि पर अब कृषि कार्य नहीं होता है, अपितू उक्त भूमि आवासीय उपयोग में आ रही है। सभी खातेदारो के मध्य बंटवाडे को लेकर कोई विवाद नहीं है, तो वादीया किसी भी प्रकार से कोई नया बंटवाडा नहीं करा सकती हैं एवं वादीया तथाकथित अपने पूर्ववर्ती खातेदार द्वारा स्वीकृत बंटवाडे के अनुसार ही भूमि का कब्जा प्राप्त कर सकती है। प्रतिवादी संख्या 5 ने उक्त कृषि भूमि में अपना हिस्सा भागचन्द, खेमराज, नगजीराम, नाथूलाल पिता हीरालाल से क्रय किया, जिन्होंने उक्त आराजी नम्बर— 1682, 1683, 1690 एवं 1691 का समस्त खातेदारों के मध्य बंटवारा किया था एवं बंटवारें में अपने-अपने हिस्से की जमीन में से रोड के लिये जमीन रखी थी एवं बंटवारे के नक्शे के अनुसार प्लोट नम्बर 2 एवं 3 क्रय किया था। अतः निवेदन है कि वादीया का वाद प्रतिवादी संख्या 5 के विरुद्ध खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा जवाब मय विशेष कथन प्रस्तुत कर कथन किया गया कि जहा तक आराजी नम्बर 1682, 1683, 1690 एवं 1691 राजस्व ग्राम बेडवास, तहसील— गिर्वा, जिला— उदयपुर स्थित भूमि 0.2500 हैक्टर भूमि के अविभाजित हक एवं हिस्से का प्रश्न है, वादीया ने मिथ्या अंकित किया है, उक्त आराजी का खातेदारों के मध्य बंटवाडा हो चुका है एवं सभी खातेदार बंटवाडे अनुसार सड़क की भूमि को छोडने के पश्चात् अपने—अपने हिस्से पर काबिज हैं एवं कईयों ने तो अपने मकान बना लिये हैं, इस प्रकार उक्त कृषि भूमि पर अब कृषि कार्य नहीं होता है, अपितू उक्त भूमि आवासीय उपयोग में आ रही है। सभी खातेदारों के मध्य बंटवाडे को लेकर कोई विवाद नहीं है, तो वादीया किसी भी प्रकार से कोई नया बंटवाडा नहीं करा सकती है एवं वादीया तथाकथित अपने पूर्ववर्ती खातेदार द्वारा स्वीकृत बंटवाडे के अनुसार ही भूमि का कब्जा प्राप्त कर सकती है। प्रतिवादी संख्या 6 ने उक्त कृषि भूमि में अपना भागचन्द, खेमराज, नगजीराम, नाथूलाल पिता हीरालाल से क्रय किया, जिन्होंने उक्त आराजी नम्बर— 1682, 1683, 1690 एवं 1691 का समस्त खातेदारों के मध्य बंटवारा किया था एवं बंटवारों में अपने—अपने हिस्से की जमीन में से रोड के लिये जमीन रखी थी एवं बंटवारे के नक्शे के अनुसार प्लोट नम्बर 2 एवं 3 क्रय किया था। अतः निवेदन है कि वादीया का वाद प्रतिवादी संख्या 6 के विरुद्ध खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 14 द्वारा जवाब मय विशेष कथन प्रस्तुत कर कथन किया गया कि जहा तक आराजी नम्बर 1682, 1683, 1690 एवं 1691 राजस्व ग्राम बेडवास, तहसील— गिर्वा, जिला— उदयपुर स्थित भूमि 0.2500 हैक्टर भूमि के अविभाजित हक एवं हिस्से का प्रश्न है, वादीया ने मिथ्या अंकित किया है, उक्त आराजी का खातेदारों के मध्य बंटवाडा हो चुका है एवं सभी खातेदार बंटवाडे अनुसार सड़क की भूमि को छोडने के पश्चात् अपने—अपने हिस्से पर काबिज हैं एवं कईयों ने तो अपने मकान बना लिये हैं, इस प्रकार उक्त कृषि भूमि पर अब कृषि कार्य नहीं होता है, अपितू उक्त भूमि आवासीय उपयोग में आ रही है। सभी खातेदारों के मध्य बंटवाडे को लेकर कोई विवाद नहीं है, तो वादीया किसी भी प्रकार से कोई नया बंटवाडा नहीं करा सकती है एवं वादीया तथाकथित अपने पूर्ववर्ती खातेदार द्वारा स्वीकृत बंटवाडे के अनुसार ही भूमि का कब्जा प्राप्त कर सकती है। प्रतिवादी संख्या 14 ने उक्त कृषि भूमि में अपना श्यामलाल दाधीच पिता परशराम जी से क्रय किया, जिन्होंने उक्त आराजी नम्बर— 1682, 1683, 1690 एवं 1691 का समस्त खातेदारों के मध्य बंटवारा किया था एवं बंटवारों में अपने—अपने हिस्से की जमीन में से रोड के लिये जमीन रखी थी एवं बंटवारे के नक्शे के अनुसार प्लोट नम्बर 2 एवं 3 क्रय किया था। अतः निवेदन है कि वादीया का वाद प्रतिवादी संख्या 14 के विरुद्ध खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 9 व 10 की ओर से जवाब पेश कथन किया गया कि दिनांक 30/11/2010 तक सो प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के पास बेचने के लिये भूमि ही नहीं थी तो जो बेचान किया गया वह सर्वथा गलत एवं अवैध है। वादीया उक्त उक्त भूमि का

पश्चातवर्ती क्रेता होने से उसका बेचान अवैध है, इसलिये वास्तविक भोग-उपभोग का कथन गलत एवं मिथ्या है। उस बेचान के आधार पर की गयी नामान्तरणकरण की कार्यवाही अवैध एवं शुन्य है। जिस नामान्तरणकरण की बात वादिया कर रही है, उसकी तो प्रतिवादीगण संख्या 9 व 10 द्वारा अपील की गयी है तथा उस नामान्तरणकरण को आप न्यायालय द्वारा अपील का निरस्तारण करते हुए दिनांक 30/08/2012 को खारिज कर दिया जिसकी आज दिन तक न तो वादिया ने अपील की और न ही प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ने इस तरह से वह निर्णय आज भी एक बाध्यकारी निर्णय हैं। प्रतिवादी संख्या 9 व 10 ने सन् 2009 में अलग अलग विक्रय विलेखों के जरिये प्रतिवादी संख्या 7 व 8 से खरीदी थी। वादिया ने तो प्रतिवादी संख्या 7 व 8 से सन् 2010 में खरीदी है, इस तरह से वादिया एक पश्चातवर्ती क्रेता है। वादिया इस कलम में उल्लेख करती है कि प्रतिवादी संख्या 8 ने अपने हक व हिस्से से अधिक भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के पक्ष में बेचान किया है। जब सन् 2009 में ही यदि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के पास विक्रय के लिए भूमि ही नहीं थी तो सन् 2010 में प्रतिवादी संख्या 8 से वादिया ने कैसे क्रय कर ली वादिया का यह ज्ञात होना चाहिये कि वह उसी वादग्रस्त भूमि को उसी विक्रेता से क्रय कर रही है जिसके पास पूर्व में ही प्रतिवादी संख्या 9 व 10 ने क्रय किया था। वादिया ने स्वयं यह मान लिया है कि वह प्रतिवादी संख्या 7 व 8 की पश्चातवर्ती क्रेता है। यह पश्चातवर्ती कृत्य सद्भाविक है तो कम से कम प्रतिवादी संख्या 7 व 8 तो सद्भाविक विक्रेता नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के पास मौके पर कोई भूमि ही नहीं केवल रिकार्ड में नाम होने के आधार पर वे निरन्तर विक्रय करते चले गये। ऐसी दशा में जब विक्रय हो ही नहीं सकता था तो वादिया बटवारा एवं घोषणा कैसे करा सकती हैं। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ने इस सम्पूर्ण अराजीयात में 20 भूखण्ड बनाए तथा उन सभी भूखण्डों के सामने 20 फीट की चौड़ी सड़क रखी। यह सड़क वाली भूमि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के नाम पर दर्ज चली आ रही थी, तथा शेष क्रेताओं के नाम चली गयी थी इसी का नाजायज लाभ उठा कर प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ने सड़क वाली भूमि को वादिया को अधिकार न होते हुए भी विक्रय कर दी उक्त कार्यवाही जो की गयी वह प्रारम्भ से ही शुन्य, अवैध व क्षेत्राधिकार विहीन है। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ने वादग्रस्त भूमि का 36/2500 वां हिस्सा वादिया को जो बेचान किया वह प्रारम्भ से ही शुन्य है। जिस समय उक्त भूमि का बेचान किया गया उस समय कोई हिस्सा शेष था ही नहीं, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ने अपना सारा हिस्सा अलग अलग विक्रय विलेखों से सन् 2000 में ही प्रतिवादीगण संख्या 9 व 10 को विक्रय कर चुके थे। लेकिन इसका इन्द्राज पटवारी महोदय द्वारा न करने की वजह से प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ने एक पश्चातवर्ती विक्रय विलेख का निष्पादन कर पुनः वादग्रस्त भूमि का बेचान कर दिया जो प्रारम्भ से ही शुन्य, अवैध व गलत है। अतः निवेदन है कि वादिया का वाद भारी हर्जे खर्चे से खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 7, 8, 11 से 13, 17, 19 से 25 को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने से जवाब अवसर बंद किया जाकर प्रकरण तनकीयात हेतु नियत किया गया।

प्रकरण में दावे, जवाबदावे, के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई :-

1. आया वादीया ने अपने पूर्वाधिकारी श्री कोमल व श्यामलाल व मौजूदा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 से उनके निहित हक आराजी नम्बर 887/2500 हक व हिस्सा अर्थात् 0.0887 हैक्टर भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख व क्रय किया। अतः प्रतिवादीगण के मुकाबले काश्त कर घोषित किये जाने की अधिकारी है?
.....वादीया
2. आया श्यामलाल का मूलतः विवाद से पूर्व 145/2500 हैक्टर भूमि शेष रही जिसमें से 109/2500 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 25 अम्बालाल को विक्रय करने से शेष रहा। 36/2500 हक व हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 व 10 अंतिम क्रेता होने से अपने नाम दर्ज करावाने के अधिकारी है?
.....वादीया
3. आया वाद घोषणा खातेदारी हक वादिया प्रतिवादीगण के विरुद्ध समानुषगी अनुतोष के रूप में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?
.....वादीया
4. आया वाद घोषणा खातेदारी हक है। वादग्रस्त कृषि भूमि का समस्त खातेदारों के मध्य बंटवाड़ा किया गया एवं उसके अनुसार ही अपने अपने हिस्से में से रोड़ के लिए जमीन रखी थी।
.....प्रतिवादी संख्या 5,6,14,15,18
5. आया वादिया एक पश्चातवर्ती क्रेता होने से इस वाद उसका दावा का क्या प्रभाव है ?
.....प्रतिवादी संख्या 9 व 10
6. अनुतोष।

प्रकरण में वादी द्वारा PW1 स्नेहलता पत्नि गजेन्द्र जी लोढा एवं PW2 गजेन्द्र लोढा पिता श्री कुन्दनमल जी लोढा का शपथ पत्र पेश किया गया। दस्तावेजों को प्रदर्श कराराया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067-2070 ग्राम बेड़वास खाता संख्या 213 प्रदर्श 1, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.11.2010 प्रदर्श 2ए, असल से मिलान कर दस्तावेज पुनः लौटाया गया। पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.05.2009 प्रदर्श 3, माननीय न्यायालय उपजिला कलक्टर गिर्वा, उदयपुर का निर्णय दिनांक 30.08.2012 को पारित निर्णय प्रदर्श 4, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.08.2019 प्रदर्श 5,

पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.08.2019 प्रदर्श 6 है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य PW1, PW2 से जिरह की गई। बयान कलमबद्ध किए गए। वादी द्वारा कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से वादीया का साक्ष्य अवसर बंद किया जाकर प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य मुकेश चौधरी पिता श्री मांगीलाल चौधरी, हेमलता पत्नि नारायण लौहार, धमेन्द्र आमेटा पुत्र श्री रामचन्द्र आमेटा, जगदीश पिता श्री मगनीराम लौहार, हिम्तराम पुत्र श्री हीरालाल लौहार, लीला पत्नि श्री श्याम सुन्दर लौहार का शपथ पत्र पेश किया गया। वादी द्वारा जिरह की गई। प्रतिवादी द्वारा अन्य ओर कोई साक्ष्य पेश नहीं करने से प्रकरण में प्रतिवादी का साक्ष्य अवसर बंद किया जाकर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा वाद में अपने अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया गया कि वादीया ने वादग्रस्त आराजीयात का प्रतिवादी संख्या 7 व 8 कोमल व श्यामलाल से 887/2500 अर्थात् 0.0887 हेक्टर भूमि पंजीकृत विक्रय विलेख से भूमि क्रय भूमि दिनांक 30.11.2010 से क्रय कर विधिवत रूप से पंजीयन करवाया गया। जिसका नामान्तरण संख्या 2650 है जो कि दिनांक 07.04.2011 को स्वीकृत हुआ तथा प्रतिवादी संख्या 8 श्यामलाल की वादग्रस्त भूमि में 145/2500 हिस्सा अर्थात् 0.0145 हेक्टर भूमि दर्ज थी, जिसमें से प्रतिवादी संख्या 25 श्री अम्बुलाल को 109/2500 हिस्सा अर्थात् 0.0109 हेक्टर भूमि पूर्व में ही विक्रय की जा चुकी थी। जिसके बाद श्यामलाल के नाम विक्रय से शेष रही 0.0036 हेक्टर भूमि ही बची थी जिसका अंतरण कानूनन प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के पक्ष में किया। लेकिन प्रतिवादी संख्या 8 श्यामलाल ने अपने रेकर्डेड हक व हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय प्रतिवादी संख्या 9 व 10 को दर्शाते हुए विक्रय किया विक्रय से शेष रहे रकवे 36/2500 से कहीं अधिक होने से निष्पादित व पंजीकृत करवाये गये है जो कि वादी के मुकाबले आरम्भतः शून्य प्रभावी हो अपास्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादी द्वारा वादी की बहस का प्रत्युत्तर देते हुए कथन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के पास मौके पर कोई भूमि थी ही नहीं केवल रिकार्ड में नाम होने के आधार पर वे निरन्तर विक्रय करते चले गये जब विक्रय हो ही नहीं सकता था तो वादिया बटवारा एवं घोषणा कैसे करा सकती हैं। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ने इस सम्पूर्ण अराजीयात में 20 भूखण्ड बनाए तथा उन सभी भूखण्डों के सामने 20 फीट की चौड़ी सड़क रखी। यह सड़क वाली भूमि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के नाम पर दर्ज चली आ रही थी, तथा शेष क्रेताओं के नाम चली गयी थी इसी का नाजायज लाभ उठा कर प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ने सड़क वाली भूमि को वादिया को अधिकार न होते हुए भी विक्रय कर दी उक्त कार्यवाही जो की गयी वह प्रारम्भ से ही शून्य, अवैध व क्षेत्राधिकार विहीन है। जिससे वादीया का वाद खारिज योग्य है।

उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवम् संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि

वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 से दिनांक 30.11.2010 को वादग्रस्त आराजीयात में 887/2500 अर्थात् 0.0887 हैक्टर हिस्सा पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किया गया। किन्तु प्रतिवादी संख्या 8, जिसके हिस्से में 145/2500 हिस्सा अर्थात् 0.0145 हैक्टर भूमि दर्ज थी उसमें से 109/2500 हिस्सा अर्थात् 0.0109 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 25 को विक्रय की जा चुकी थी। उसके बाद श्यामलाल ने शेष रही 0.0036 हैक्टर भूमि से अधिक भूमि का विक्रय प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के पक्ष में किया गया। जिससे वादीया को वादग्रस्त आराजीयात में 887/2500 अर्थात् 0.0887 हैक्टर भूमि जो प्रतिवादी संख्या 7 व 8 कोमल व श्यामलाल के हिस्से में से क्रय की भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है।

प्रकरण में तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है :-

1. आया वादीया ने अपने पूर्वाधिकारी श्री कोमल व श्यामलाल व मौजूदा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 से उनके निहित हक आराजी नम्बर 887/2500 हक व हिस्सा अर्थात् 0.0887 हैक्टर भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख व क्रय किया। अतः प्रतिवादीगण के मुकाबले काश्त कर घोषित किये जाने की अधिकारी है?
.....वादीया

➤ तनकी संख्या 1 को साबित कराने का भार वादीया का है। वादीया ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में सम्वत् 2067-2070 ग्राम बेड़वास खाता संख्या 213 की जमाबन्दी प्रदर्श 1, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.11.2010 प्रदर्श 2 ए, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.05.2009 प्रदर्श 3, माननीय न्यायालय उपजिला कलक्टर गिर्वा, उदयपुर का निर्णय दिनांक 30.08.2012 को पारित निर्णय प्रदर्श 4, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.08.2019 प्रदर्श 5, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.08.2019 प्रदर्श 6 पेश किया गया। वादीया ने राजस्व ग्राम बेड़वास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर स्थित हाल आराजी नम्बर 1682, 1683, 1690, 1691 व 1692 कुल किता 04 कुल रकबा 0.2500 हैक्टर में से अपने पूर्वाधिकारी प्रतिवादी संख्या 7 व 8 क्रमशः कोमल व श्यामलाल से उनके रेकार्डेड कुलिया हक व हिस्से 851/2500 अर्थात् 0.0887 हैक्टर क्रयशुदा भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 30.11.2010 से क्रय कर विक्रय पत्र करा पंजीयन कार्यालय द्वितीय उदयपुर में विधिवत् रूप से करवा दिया था व वादग्रस्त भूमि के अविभाजित हक व हिस्सा अन्य सहखातेदार के साथ अर्जित किया। प्रतिवादी ने सिर्फ श्यामलाल ने भूमि क्रय की है, कोमल से उन्होने कोई हिस्सा नहीं खरीदा है अर्थात् वादीया द्वारा कोमल से खरीदा गया हिस्सा विधि अनुसार सही है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादीया द्वारा श्यामलाल व कोमल जो कि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 है, जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर 887/2500 हैक्टर भूमि को क्रय किया। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का पंजीयन उपपंजीयक

कार्यालय द्वितीय उदयपुर से विधिवत किया गया। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को किसी न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया। अतः वादीया द्वारा कोमल पिता श्यामलाल से वाद वर्णित आराजी से क्रय किया गया हिस्सा 887/2500 विधि मान्य है। प्रतिवादी संख्या 9 व 10 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज रजिस्टर्ड विक्रय विलेख पत्र जो पत्रावली में संलग्न है उनका न्यायालय द्वारा ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रतिवादी संख्या 9 व 10 श्री मुकेश पिता मांगीलाल चौधरी एवं श्रीमती तारा पत्नि मुकेश चौधरी द्वारा श्यामलाल से ही भूमि क्रय की गई। कोमल पिता श्यामलाल से भूमि क्रय नहीं की गई। अतः कोमल पिता श्यामलाल दाधीच द्वारा वादीया स्नेहलता पत्नि गजेन्द्र लोढ़ा को किया गया बेचान विधि मान्य है तथा स्नेहलता पत्नि गजेन्द्र लोढ़ा का वाद वर्णित आराजीयात राजस्व ग्राम बेड़वास, तहसील गिर्वा, उदयपुर की हाल आराजी नम्बर 1682, 1683, 1690, 1691 कुल किता 04 कुल रकबा 0.2500 हैक्टर भूमि में कोमल के हिस्से में दर्ज भूमि को 851/2500 हिस्सा कोमल पिता श्यामलाल दाधीच की बजाय वादीया स्नेहलता पत्नि गजेन्द्र लोढ़ा, को खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादीया ने कोमल से 851/2500 वां हिस्सा क्रय किया जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.11.2010 के आधार पर किया गया जो कानूनन सही है एवम् वादी को 887/2500 वां हिस्सा अर्थात् 0.0887 हैक्टर भूमि का काश्तकार घोषित किया जाता है। अतः तनकी नम्बर वादीया के पक्ष में तय की जाती है।

2. आया श्यामलाल का मूलतः विवाद से पूर्व 145/2500 हैक्टर भूमि शेष रही जिसमें से 109/2500 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 25 अम्बालाल को विक्रय करने से शेष रहा। 36/2500 हक व हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 व 10 अंतिम क्रेता होने से अपने नाम दर्ज करावाने के अधिकारी है?

.....वादीया

- तनकी संख्या 2 को साबित करने का दायित्व वादीया का है। श्यामलाल ने अपने हक व हिस्से में से उक्त भूमि का बेचान वादीया से पूर्व श्यामलाल ने तारा चौधरी को जरिये रजिस्टर्ड बिकाव पत्र दिनांक 18.05.2009 जो प्रदर्श 3 है, को 0.0098 हैक्टर जो प्रदर्श 4 है। उक्त बेचान के बाद एक अन्य बेचान भी तारा चौधरी के पक्ष में बेचान 938 वर्गफिट अर्थात् 0.0087 हैक्टर दिनांक 20.08.2010 जो प्रदर्श 5 है, को बेचान कर दिया अर्थात् श्यामलाल ने अपने हिस्से की कुल भूमि का बेचान पूर्व में भी किया जा चुका है अर्थात् पश्चातवर्ती किया गया बेचान शून्य माना जाएगा अर्थात् वादीया को श्यामलाल ने अपने हिस्से 145/2500 के कुल हिस्से का किया गया बेचान शून्य माना गया अर्थात् यह तनकी संख्या 2 विरुद्ध वादीगण तय की जाती है।

3. आया वाद घोषणा खातेदारी हक वादिया प्रतिवादीगण के विरुद्ध समानुषगी अनुतोष के रूप में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?

....वादीया

- तनकी संख्या 3 को साबित करने का दायित्व वादीया का है। तनकी संख्या 1 में वादीया को वाद वर्णित आराजीयात में 851/2500 वां हिस्सा अर्थात 0.0887 हैक्टर का रजिस्टर्ड बिकावनामा के आधार पर खातेदार घोषित किया गया है अर्थात वादी को उसके खातेदारी अधिकार तक के हिस्से में प्रतिवादीगण दखलन्दाजी नहीं करें। इस आशय से स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। अतः तनकी संख्या 3 वादीया के पक्ष में एवम् प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।

4. आया वाद घोषणा खातेदारी हक है। वादग्रस्त कृषि भूमि का समस्त खातेदारों के मध्य बंटवाड़ा किया गया एवं उसके अनुसार ही अपने अपने हिस्से में से रोड़ के लिए जमीन रखी थी।

....प्रतिवादी संख्या 5,6,14,15,1618

- यह तनकी साबित करने का दायित्व प्रतिवादीगण का है। वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य शामिल है तथा इसका बंटवाड़ा नहीं हुआ है अर्थात उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में बंटवाड़ा नहीं होने के कारण सभी काश्तकार सहखातेदार होने के कारण सभी का राजस्व हक हिस्सेनुसार हिस्सा निहित है।

5. आया वादिया एक पश्चातवर्ती क्रेता होने से इस वाद उसका दावा का क्या प्रभाव है ?

.....प्रतिवादी संख्या 9 व 10

- यह तनकी साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 9 व 10 का है। तनकी संख्या 1 वादीया के पक्ष में सिद्ध हुई है जिसमें वादीया स्नेहलता को प्रतिवादी संख्या 7 कोमल ने जरिये रजिस्टर्ड बिकावनामा से दिनांक 30.11.2010 से बेचान किया जो विधि मान्य होकर सही है अर्थात वादीया को वादवर्णित आराजीयात राजस्व ग्राम बेडवास तहसील गिर्वा, उदयपुर में स्थित हाल आराजी संख्या 1682, 1683, 1690 व 1691 कुल किता 04 कुल रकबा 0.2500 हैक्टर भूमि में से अपने पूर्वाधिकारी प्रतिवादी संख्या 7 व 8 क्रमशः कोमल व श्यामलाल ने उनके रेकार्डड कुलिया हक व हिस्से 851/2500 अर्थात 0.0887 हेक्टर क्रयशुदा भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 30.11.2010 से क्रय कर विक्रय पत्र का पंजीयन

भी दिनांक 30.11.2010 को सम्यक रूप से विधिवत रूप से करवा दिया गया। वादीया को प्रतिवादी संख्या 8 श्यामलाल से किया गया बेचान पश्चात्वर्ती होने के कारण विधि शून्य है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 8 श्यामलाल द्वारा उक्त भूमि का बेचान वादीया से पूर्व ही प्रतिवादी संख्या 9 व 10 को रजिस्टर्ड बिकावनामा से कर दिया अर्थात् वादीया को कोमल द्वारा किया गया बेचान विधि मान्य होने से वादीया को 0.0887 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया गया एवम् श्यामलाल से किया गया बेचान पश्चात्वर्ती होने के कारण खातेदार घोषित नहीं किया गया।

उक्त तनकीवार विवेचन निष्कर्ष से वादीया का वाद आशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवम् वादीया स्नेहलता को वादग्रस्त आराजीयात राजस्व ग्राम बेड़वास तहसील गिर्वा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1682, 1683, 1690 व 1691 कुल कित्ता 4 रकबा 0.2500 हेक्टर भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय करने के आधार पर 0.0887 हैक्टर अर्थात् 851/2500 वे हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व ग्राम बेड़वास जिसकी वर्तमान जमाबन्दी राजस्व ग्राम बेड़वास, पटवार मण्डल बेड़वास, भू-निरीक्षक क्षेत्र भाईयों की पंचोली तहसील गिर्वा, उदयपुर के खाता संख्या 253 आराजी संख्या 1682, 1683, 1690 व 1691 कुल कित्ता 04 कुल रकबा 0.2500 हैक्टर भूमि में कोमल कुमार पुत्र श्यामलाल दाधीच हिस्सा 851/2500 के बजाय स्नेहलता पत्नी श्री गजेन्द्रजी लोढ़ा को किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीया का वाद आशिक स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बेड़वास, पटवार मण्डल बेड़वास, भू-निरीक्षक क्षेत्र भाईयों की पंचोली तहसील गिर्वा, उदयपुर के खाता संख्या 253 आराजी संख्या 1682, 1683, 1690 व 1691 कुल कित्ता 04 कुल रकबा 0.2500 हैक्टर भूमि में कोमल कुमार पुत्र श्यामलाल दाधीच हिस्सा 851/2500 वां के बजाय स्नेहलता पत्नी श्री गजेन्द्रजी लोढ़ा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीया के हक व हिस्से में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। तहसीलदार गिर्वा राजस्व रेकार्ड में अमलदाराम करावें।

निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा - उदयपुर

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा-उदयपुर पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस. मुकद्दमा 174/19 सन 2019 श्रीमती स्नेहलता पत्नी श्री गजेन्द्रजी लोढ़ा, जाति जैन, उम्र वयस्क, निवासी 394-बी, रोड़ नम्बर 8, अशोक नगर, तहसील-गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) बनाम (1) श्री भागचन्द पिता श्री हीरालाल जी ब्राह्मण, जाति ब्राह्मण (2) श्री नगजीराम पिता श्री हीरालाल जी ब्राह्मण, जाति ब्राह्मण (3) श्री नाथुलाल पिता श्री हीरालाल जी ब्राह्मण, जाति ब्राह्मण (4) श्री मगनीराम पिता श्री हीरालाल जी ब्राह्मण, जाति ब्राह्मण, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 सर्वनिवासी बेड़वास, तहसील-गिर्वा, उदयपुर (राज.) (5) श्रीमती पिकी पत्नी श्री ओमप्रकाश लौहार, निवासी ग्लास फैक्ट्री, खेमपुरा रोड़, उदयपुर (राज.) (6) श्रीमती लीला पत्नी श्री श्यामसुन्दर लौहार, जाति लौहार, निवासी ग्लास फैक्ट्री, खेमपुरा रोड़, उदयपुर (राज.) (7) श्री कोमल कुमार पिता श्री श्यामलाल दाधीच, निवासी 16/126, मीरा कॉलोनी, उत्तरी आयड़, उदयपुर (राज.) (8) श्री श्यामलाल पिता श्री परसराम दाधीच, निवासी 16/126, मीरा कॉलोनी, उत्तरी आयड़, उदयपुर राज. (9) श्री मुकेश पिता श्री मांगीलाल जी चौधरी, जाति चौधरी, निवासी बोहरागणेशजी कॉलोनी, उदयपुर (राज.) (10) श्रीमती तारा पत्नी श्री मुकेश जी चौधरी, जाति चौधरी, निवासी बोहरागणेशजी कॉलोनी, उदयपुर (राज.) (11) सुश्री ईश्वरी पुत्री श्री जगदीश रेगर, उम्र वयस्क, निवासी 137, सूरजपोल, ठक्करबापा कॉलोनी, उदयपुर (राज.) (12) श्रीमती पिकी कुंवर पत्नी श्री जसवंतसिंह राव, निवासी बोयणा, तहसील-मावली, जिला उदयपुर (राज.) (13) श्रीमती शंकरा बाई पत्नी श्री देवीलालजी डांगी, निवासी मु.पो. धावड़ी, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.) (14) श्री हिम्तराम पिता श्री हीरालाल लौहार, निवासी बेड़वास, तहसील-गिर्वा, जिला उदयपुर (15) श्री जगदीश पिता श्री मगनीराम लौहार, जाति लौहार, निवासी कुण्डई, भीण्डर, तहसील - वल्लभनगर, जिला - उदयपुर (राज.) (16) श्रीमती हेमलता पत्नी श्री नारायणलाल लौहार, निवासी दुढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.) (17) श्रीमती भागवन्ती पत्नी श्री रामेश्वरलाल उपाध्याय, जाति ब्राह्मण, निवासी बड़वई, तहसील-डूंगला, जिला - चितौड़गढ़ (राज.) (18) श्री धमेन्द्र पिता रामचन्द्र आमेटा जाति ब्राह्मण, निवासी गादोली, तहसील-मावली, जिला उदयपुर (राज.) (19) श्रीमती मिनाक्षी पत्नी श्री प्रशान्तराज नीमावत (वैष्णव), जाति वैष्णव, निवासी 5, हवलामार्ग, अजन्ता होटल वाली गली, हाथीपोल बाहर, उदयपुर (राज.) (20) श्रीमती कुसुम पत्नी श्री निर्मल कुमार टांक, जाति टांक, निवासी सी/ओ श्री रामलाल टांक, वार्ड नम्बर 17, हायर सैकेण्डरी स्कूल के सामने, फतहनगर, तहसील - वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.) (21) श्री शान्तिलाल पिता श्री जगदीशलाल लौहार, जाति लौहार, (22) श्री मनोहरलाल पिता श्री जगदीशलाल लौहार, जाति लौहार, प्रतिवादी संख्या 21 व 22 दोनों, निवासी वाटीका मार्ग, हनुमान मौहल्ला, कुराबड़, तहसील-गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) (23) श्री दुर्गाशंकर पिता श्री प्रताप चौबीसा, (24) श्री शंकरलाल पिता श्री प्रताप चौबीसा, जाति ब्राह्मण, प्रतिवादी संख्या 23 व 24 दोनों, निवासी 148, भीण्डर से बम्बोरा सड़क, चरगदिया, तहसील-वल्लभनगर, जिला- उदयपुर (राज.) (25) श्री अम्बुलाल पिता श्री छगनलाल शर्मा, जाति शर्मा, निवासी उथरदा, तहसील -सलूमबर, जिला उदयपुर (राज.) 26 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा (भूमिधारी), जिला - उदयपुर (राज.) वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 92-ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का यह मुकद्दमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। श्री हर्षद जोशी अधिवक्ता वादी एवम् श्री महेश भट्ट एवं श्री सत्यप्रकाश व्यास अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 9 व 10 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि-

वादीया का वाद आशिक स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बेड़वास, पटवार मण्डल बेड़वास, भू-निरीक्षक क्षेत्र भाईयों की पंचोली तहसील गिर्वा, उदयपुर के खाता संख्या 253 आराजी संख्या 1682, 1683, 1690 व 1691 कुल किता 04 कुल रकबा 0.2500 हैक्टर भूमि में कोमल कुमार पुत्र श्यामलाल दाधीच हिस्सा 851/2500 वां के बजाय स्नेहलता पत्नी श्री गजेन्द्रजी लोढा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीया के हक व हिस्से में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। तहसीलदार गिर्वा राजस्व रेकार्ड में अमलदाराम करावें। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

और इस वाद के खर्चे लेखेरुपये की राशिआज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस परप्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहितद्वाराको दी जाए।

यह आज तारीखमाहसन् को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश
पद

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शों के लिए स्टाम्प			प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		
मेहनताना (वकील) पर			मेहनताना (वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		